अति महत्वपूर्ण/ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः एम0ई0–3/2018/2415 लखनऊःदिनांकः 19 जून, 2018

विषयः **नीट यू0पी0 यू0जी0–2018 हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नीट यू0पी0 यू0जी0 2018 की नीति निर्धारित करते हुए शासनादेश संख्या–973/71–4–2018–07/2018, दिनांक 12 जून, 2018 जारी किया गया है। उक्त शासनादेश के बिन्दु–3 अर्हतायें के उपबिन्दु–4 पर उल्लिखित है कि "ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से दोनों ही परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हो, को प्रवेश के समय निर्धारित किये गये प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "मूल निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नीट यू0पी0 यू0जी0 2018 की प्रथम चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 26 जून, 2018 से 30 जून 2018 के मध्य निर्धारित नोडल सेन्टरों पर किया जाना है। तत्समय अभ्यर्थी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र अभिलेखों के सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह शासनादेश दिनांक 12.06.2018 में प्रदान निर्देशानुपालन में अर्ह अभ्यर्थियों को नियमानुसार मूल निवास प्रमाण पत्र डिस्पैच संख्या तथा दिनांक सहित निर्गत किये जाने के साथ ही निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाईन सत्यापन के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

प्रकरण अति महत्वपूर्ण है। अतएव आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक

संख्याः एम0ई0–3/2018/ तद्दिनांक/

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक